

पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर
समस्त उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,
जनपदीय पुलिस, उत्तर प्रदेश।

विषय:- वाणिज्य कर विभाग में करापवंचन की रोकथाम के लिए अपेक्षित सहयोग के सम्बन्ध में।

आप विदित है कि वाणिज्य कर विभाग का प्रदेश के राजस्व संग्रह में सर्वाधिक योगदान है तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति हेतु परिणामपरक कर निर्धारण के साथ-साथ करापवंचन पर प्रभावी रोकथाम भी आवश्यक है। करापवंचन पर नियंत्रण हेतु विभाग में वर्तमान में 150 सचल दल इकाईयाँ तथा 46 विशेष अनुसंधान शाखाएँ क्रियाशील है, जिनके सहयोग तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग से वाणिज्य कर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पुलिस कर्मिकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। समय-समय पर सचल दल / वि०अनु०शा० इकाईयों द्वारा करापवंचकों पर प्रभावी नियंत्रण, जांच कार्य को बाधा रहित सम्पन्न कराने एवं जांच टीम के सहयोग तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती रहती है।

अतः अनुरोध है कि राजस्व हित के दृष्टिगत यदि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की मांग की जाती है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहयोग प्रदान करने के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों / प्रभारी निरीक्षक/ चौकी प्रभारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मिनिस्ती एस०)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना/ कर्मिक), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

एडीशनल कमिश्नर(पुलिस) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।